

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव


फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

(1) गीतगलाजदान पुग गजदान वनाम गंगलदान पुग कागदान वर्ग (14)
जाहे - चारण वि. कावडयह
वर्ग (7)

किस्म मुकदमा... 212 RT Act अधि. मुकदमा नम्बर... 148 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/6/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>सुब्रह्मण्य सिथाग</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>212 RT Act</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>10/6/19</u> को पेश हो।</p> <p> सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	



30.6.25

ग्राहिका

~~पत्रावली~~ ग्राहिका वकील द्वारा पत्रावली तलब कर जरिमे विद्वो खातिज करने का प्रार्थना पत्र पेश कर. निवेदन करने पर पत्रावली तलब की जाका जेश हुयी

दिनांक 30, 6, 2025

ग्राहिका संख्या 1 द्वारा स्वंग उपस्थित होने उम्त आवेदन में पक्षकार के मध्य विवाद समाप्त हो जाने से राज्य आवेदन आगे नहीं चलाने का कथन करते हुए आवेदन जरिमे विद्वो खातिज करने का निवेदन किया गया। ग्राहिका वकील द्वारा भी अपनी बहम में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जरिमे विद्वो खातिज करने का निवेदन किया गया। अतः उम्त पत्रावली में पक्षकार के मध्य विवाद समाप्त होने तथा पत्रावली विद्वो करने के निवेदन पर ग्राहिका वकील द्वारा उपलब्ध प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पत्रावली को इसी स्टेज पर जरिमे विद्वो खातिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल इफ्तार हो।

सहायक कलक्टर (नाडमेर)